I/213866/2024

संख्या–   /ई–   /2024

प्रेषक,

डॉ0 अहमद इकबाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,** कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. **समस्त** मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग –6 **देहरादूनः दिनॉकः मई, 2024।**

विषयः– कोषागार से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनधारकों के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया, विभिन्न माध्यमों से यह तथ्य संज्ञान में आया है कि राज्य के विभिन्न कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों की मृत्यु होने के उपरान्त उनके वैध उत्तराधिकारी के द्वारा ससमय कोषागारों में उनकी मृत्यु की सूचना प्रेषित नहीं की जा रही है, जिससे कदाचित अनावश्यक रूप से राजकीय धन का प्रेषण उक्त पेंशनधारकों के खातों में होता है, जिसे कालांतर में समायोजित किया जाना पड़ता है। यह स्थिति वित्तीय अनुशासन की दृष्टि से उचित नहीं है।

2. उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने स्तर से समस्त पेंशन धारकों को यह सूचना प्रेषित करना सुनिश्चित करें कि पेंशन धारक की मृत्यु होने के उपरान्त एक माह की अवधि के भीतर उनके वैध उत्तराधिकारी द्वारा उनकी मृत्यु की सूचना अनिवार्य रूप से सम्बन्धित कोषागार को उपलब्ध कराया जाय। साथ ही इस सम्बन्ध में आई.एफ.एम.एस. पोर्टल/एस.एम.एस/ई–मेल के माध्यम से भी यह सूचना संबंधित पेंशनरों को उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
Signed by Ahmed Iqbal
Date: 28-05-2024 09:55:51
(डॉ0 अहमद इकबाल)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या एवं तिथि उक्तवत।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्उ शासन।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अपर सचिव।